

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय
(पीठासीन पदाधिकारी— श्री बिजेन्द्र कुमार)

वैवाहिक वाद संख्या— 16/2026

सूरज कुमार बनाम् ब्यूटी कुमारी

आदेश दिनांक— 24.03.2026

1. अभिलेख को वाद ग्रहण के बिन्दू पर सुनवाई के लिए रखा गया है लेकिन बार-बार पुकार किये जाने के बावजूद भी वादी या उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए हैं।
2. अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद, दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापना हेतु दाखिल किया गया है, जिसमें वादी सूरज कुमार एवं उत्तरवादी ब्यूटी कुमारी के बीच हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 28.06.2023 को विवाह अनुष्ठापित किया जाना बताया गया है। पक्षकारों के बीच विवाह के सबूत के रूप में ऐसा दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि पक्षकारों के बीच अभिकथित विवाह अनुष्ठापित हुआ है। इस न्यायालय की राय में मौजूदा वाद में कोई भी अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए वादी द्वारा विवाह के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। विवाह के प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र जिसमें पक्षकारों को पति-पत्नी के रूप में दर्शाया गया हो या किसी जन प्रतिनिधि द्वारा इस आशय का जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2026 के द्वारा वादी को निर्देश दिया गया था कि शादी के प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और वाद को दिनांक 28.02.2026 के लिए स्थगित किया गया था। इसी उद्देश्य के लिए वाद को पुनः दिनांक—09.03.2026 एवं दिनांक—18.03.2026 को स्थगित किया गया और उसके उपरांत वाद को पुनः आज के लिए इसी उद्देश्य के लिए स्थगित किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी दिनांक 26.02.2026 से लगातार अनुपस्थित है। सुनवाई के दौरान आज भी न तो वादी या उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही न्यायालय के निर्देशानुसार पक्षकारों के बीच विवाह के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। वाद के पक्षकारों के बीच विधि पूर्ण विवाह के प्रथम दृष्टया सबूत के अभाव में वाद की कार्यवाही को आगे बढ़ाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः इस वाद को विवाह के प्रथम दृष्टया सबूत के अभाव में तथा वादी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्रवाई के उपरांत नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह0/-

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बेगूसराय।

24.03.2026